152

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम.के.सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी–3419–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 23/06/2014 पारित द्वारा नायब तहसीलदार मण्डल मड़ियादों तहसील हटा जिला दमोह पकरण कामंक 105/अ–12/2012–13.

हीरालाल पुत्र लखनलाल विश्वकार्मा
वालकिशन पुत्रगण लखन लाल विश्वकर्मा
निवासी ग्राम देवरी फतेपुर तहसील हटा
जिला दमोह म0प्र0 ——— आवेदकगण

विरूद्ध

घनश्याम पुत्र रामरतन विश्वकर्मा
निवासी ग्राम देवरी फतेपुर तहसील
हटा जिला दमोह म0प्र0 ——— अनावेदक

श्री राजेन्द्र पटेरिया, अभिभाषक, आवेदक
श्री एच0 पी0 अहिरवार अभिभाषक अनावेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 20-7-2016)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार हटा जिला दमोह द्वारा

प्रकरण क्रमांक 15/अ–12/2013–14–अपील में पारित आदेश दिनांक 23/06/2014 से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा ग्राम देवरी के खसरा नंबर 20/2 के सीमांकन का आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर जो सीमांकन दिनांक 5.6.2014 को राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा किया गया था उसमें मौके पर खसरा नंबर 20/3 के अंश भाग 0.20 है0 जिसमें आवेदक का मकान एवं बोर बना हुआ है पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाये जाने संबंधी प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की आपत्ति को दर किनार करते हुये दिनांक 23.6.14 को आदेश पारित करके सीमांकन की पुष्टि कर दी, जिससे परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानी पंजीबद्व करके अनावेदकगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अनावेदकगण के अधिवक्ता बिगत पेशियों पर उपस्थित होते रहे । पेशी दिनांक 28.6.16 की भी सूचना अनावेदकगण को जरिये सूचनापत्र तामील होकर वापिस प्राप्त हुये। तदुपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये।

3– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बताया कि तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 129 में दिये प्रावधानों का पालन नहीं किया है। दिनांक 5.5.14 के सीमांकन के सूचनापत्र जारी किये गये, जो आवेदकगण को तामील ही नहीं कराये गये, नियमानुसार कम से कम सात दिवस पूर्व सूचनापत्र जारी होना चाहिये । इसी प्रकार जो सीमांकन दिनांक 5.6.14 को किया गया है, वह भी आवेदकगण की अनुपस्थित में किया गया है, इसके अलावा वही तथ्य दोहराये गये जो निगरानी मेमों एवं अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आपत्ति में लेख किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आपत्ति एवं संपूर्ण प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को के साथ

न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 हटा जिला दमोह द्वारा व्यवहार वाद कमांक 11ए/2011 में पारित निर्णय दिनांक 14.5.12 न्यायालय माननीय अपर जिला न्यायाधीश हटा जिला दमोह द्वारा वयवहार अपील कमांक 10ए/2013 में पारित निर्णय दिनांक 2.9.13 एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा द्वितीय अपील कमांक 1125/2013 में पारित निर्णय दिनांक 7.2.14 की प्रमाणित प्रतिलिपियों की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। जिनका भी अवलोकन किया गया। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि विधिवत रूप से सीमांकन किया गया है, आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की जावे।

4– प्रकरण का अवलोकन करने पर यह तथ्य भी परिलक्षित हुआ है कि आवेदकगण द्वारा भी पूर्व में राजस्व प्रकरण कमांक 4/अ–12/2010–11 दिनांक 12.1.2011 के अनुसार प्रकरण की वादग्रस्त भूमि का सीमांकन कराया गया था। जिसमें वादग्रस्त भूमि आवेदकगण के खसरा नंबरों से संबंधित पाई गई थी, जिस पर मनीराम एवं बाबूलाल आदि का कब्जा पाये जाने से आवेदकगण द्वारा व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त सीमांकन की किसी भी न्यायालय में अपील निगरानी न होने से भी सीमांकन आज भी प्रभावशील है।

5–अनावेदक द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आवेदनपत्र के आधार पर जिस खसरा नंबर 20/2 के अंशभाग 0.20 है0 पर बने मकान एवं बोर आवेदकगण का अवैध कब्जा बताया गया है, उपरोक्त भूमि का आवेगदगण को व्यवहार न्यायालय द्वारा स्वत्व एवं अधिपत्यधारी घोषित किया गया है। जिसकी पुष्टि माननीय अपर जिला न्यायाधीश तथा माननीय उच्च नयायालय द्वारा भी प्रथम एवं द्वितीय अपीलों में की गई है। जिसके संबंध में आवेदकगण द्वारा आपत्ति करने के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन को विधि विरूद्व तरीके से माननीय व्यवहार न्यायालयों एवं उच्च

न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को अनदेखा करके की गई है। राजस्व न्यायालय पर व्यवहार न्यायालय का निर्णय बंधनकारी है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 129 में दिये गये प्रावधानों का पालन नहीं किया है। आवेदकगण को सूचना पत्र जारी नहीं किये गये हैं। उन्हें सीमांकन के समय भी उपस्थित रखने का प्रयास नहीं किया गया है। आवेदकगण द्वारा जो आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। उसको भी क्यों अमान्य किया है, उसके संबंध में भी बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है। जिसके कारण भी सीमांकन दूषित है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.6.14 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती हैं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.6.2014 एवं सीमांकन निरस्त किया जाता है।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर